

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 67/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

हमिदा खातुन/श्री खान मोहम्मद, सिलावट मोहल्ला, नूरानी मस्जिद, अजमेर, निवासी:
सिलावट मोहल्ला, नूरानी मस्जिद, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 19.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.09.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थीया के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थीया द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग करते पाये जाने पर अप्रार्थीया के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	987585	INDANE	15.5kg	20 kg	4.5kg	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6 का उल्लंघन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मैसर्स चन्द्रयान गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री अयूब खान पुत्र श्री कयूम खान, निवासी:- फकीराखेडा, किशनपुरा रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीया स्वयं उपस्थित। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.09.2019 को जांच दौरान अप्रार्थीया द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C), 6 का उल्लंघन है, जो



Abhano
जिला कलक्टर
अजमेर

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थीया का कथन है कि कानून की जानकारी के अभाव में भूलवश घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया गया था। अप्रार्थीया भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अतः अप्रार्थीया के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यो को स्वीकार किया गया है। वक्त जांच भी उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थीया का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.11.2019 को सरे इजलास

गया।



Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर